



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 5 राँची, शुक्रवार,

1 जनवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 दिसम्बर, 2020

संख्या--5/आरोप-1-83/2016 का.-6202/--श्री रामकरण राम, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-494/03, गृह जिला-पलामू) के विरुद्ध इनके संयुक्त निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना-सह-वित्त विभाग के पद पर कार्यावधि से संबंधित अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) के पत्रांक-1621 दिनांक 20.09.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निदेशालय में पदस्थापन अवधि के दौरान बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के वाहन का उपयोग करने, सौंपे गये कार्य को नहीं करने, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं परिवहन विभाग के आदेश सं0-100 दिनांक 06.10.2012 द्वारा 2,00,000/- (दो लाख) रु0 चिकित्सा अग्रिम के रूप में दी गई राशि समायोजन नहीं कराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9285 दिनांक 27.10.2016 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसके अनुपालन में श्री राम के पत्र, दिनांक 19.08.2017 द्वारा

स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री राम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को यदि सरकारी वाहन अनुमान्य नहीं है तो निदेशालय के जापांक-856 दिनांक 02.06.2014 द्वारा श्री राम तिवारी, प्रभारी संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को वाहन सं0-JH-01AG-1050 किस आदेश के तहत तत्कालीन निदेशक द्वारा आवंटित किया गया था।

2. आरोप झूठा, बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर षडयंत्र पर आधारित है।

निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा साक्ष्य के रूप में पीत पत्र दिनांक 26.06.2015 दिया गया है। इस संबंध में कहना है कि दिनांक 28.07.2015 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उक्त पद के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पद स्वीकृत नहीं है। पहले पद स्वीकृति प्राप्त किया जाय, सी0आर0एस0 नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्ति की तिथि तक पद स्वीकृत नहीं हो सका। संबंधित बैठक की कार्यवाही एवं पद स्वीकृति पत्र की छायाप्रति निदेशालय से मांग की गई, जो अप्राप्त है।

उनके पीत पत्र सं0-161 दिनांक 19.12.2014, जो तत्कालीन, निदेशक को सम्बोधित है, उसमें निदेशालय में स्थापित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुकूल कार्य नहीं होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

3. गैर सरकारी प्रेषण सं0-149 दिनांक 01.12.2014 निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को लिखा गया है एवं प्रतिलिपि प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की गई थी। अतः यह आरोप बेबुनियाद एवं पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर षडयंत्र पर आधारित है।

4. निदेशक द्वारा वर्ष 2014 में 09 दिन एवं वर्ष 2015 में 31 दिन बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया है। बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज नहीं होने के निम्न कारण हो सकते हैं-

(i) आकस्मिक अवकाश में मुख्यालय से बाहर

(ii) Net Problem

(iii) कम्प्यूटर में खराबी के कारण। कम्प्यूटर खराबी पर बनाने के लिए मौखिक एवं लिखित रूप से अनेकों बार निदेशक को अनुरोध किया गया था।

बायोमेट्रिक पद्धति में उपस्थिति/अनुपस्थिति के संबंध में संचिका के माध्यम से निदेशक द्वारा जानकारी ली जाती थी एवं उसी आधार पर वेतन भुगतान का निर्णय लिया जाता था।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को अस्वीकृत करने के उपरान्त उनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(S) No.-530/2016 दायर की गई है, जिसमें दिनांक 25.07.2017 को मेरे पक्ष में आदेश पारित किया गया।

श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय विभागीय पत्रांक-10348 दिनांक 05.10.2017 द्वारा निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) से मंतव्य की मांग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक-7697 दिनांक 22.10.2018, पत्रांक-4486 दिनांक 07.06.2019 एवं पत्रांक-6272 दिनांक 02.08.2019 द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग से श्री राम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गई।

योजना-सह-वित्त विभाग के पत्रांक-553, दिनांक 31.07.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप स0-1(एक) को छोड़कर शेष आरोप प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं योजना-सह-वित्त विभाग के मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री रामकरण राम, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
